कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय और भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा पूंजीगत वस्तु क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इंजीनियरिंग ट्रेडों में प्रशिक्षण की सुविधा के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर





नई दिल्ली,29 जून 2022: कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) और भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) ने आज पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक सहयोगी इकोसिस्टम बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। साझेदारी का उद्देश्य पूंजीगत वस्तुएं क्षेत्र फेज़ ॥ में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने की स्कीम के तहत एमएचआई से संबंधित क्षेत्र कौशल परिषद (जैसे ऑटोमोटिव, अवसंरचना, इंस्डुमेंटेशन और पूंजीगत वस्तुएं) द्वारा विकसित अर्हता पैक (क्यूपी) के माध्यम से कई इंजीनियरिंग ट्रेडों में प्रशिक्षण की स्विधा प्रदान करना है।

साझेदारी के तहत, एमएसडीई राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के माध्यम से इंजीनियरिंग ट्रेडों में कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न क्षेत्र कौशल परिषदों (एसएससी) और उद्योग भागीदारों के बीच संबंधों की सुविधा प्रदान करेगा। एमएसडीई एनएसडीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में और एसएससी के प्रतिनिधियों सहित कम से कम सात अन्य सदस्यों की एक समीक्षा समिति का गठन करेगा।

समारोह की शोभा बढ़ाते हुए कौशल विकास और उद्यमशीलता और शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पूंजीगत वस्तु क्षेत्र का विकास मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सफलता से जुड़ा है। विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि एक कुशल कार्यबल की अधिक मांग सृजित करेगी और समझौता ज्ञापन से क्षेत्र के लिए अधिक कुशल जीवंत कार्यबल बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा।

श्री महेंद्र नाथ पांडेय, भारी उद्योग मंत्री ने साझेदारी का स्वागत करते हुए कहा कि भारी विनिर्माण उद्योग रोजगार सृजन, निर्यात और अर्थव्यवस्था के मूल्यवर्धन के मामले में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। इस क्षेत्र में कोई भी विकास अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी संभावनाएं प्रस्तुत करता है और माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्मानिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक कदम है।

एमएचआई, अपनी ओर से, एसएससी को नए उद्योग नीत वाले राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा (एनएसक्यूएफ) स्तर 6 और क्यूपी विकसित करने के लिए अनुदान प्रदान करेगा। मांग और

नई तकनीक के आधार पर जॉब रोलों की पहचान के पश्चात, एसएससी इसे एनसीवीईटी की अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेंगे। एमएचआई पूंजीगत वस्तुओं और ऑटोमोटिव क्षेत्रों में कौशल को बढ़ावा देने के लिए कई इंजीनियरिंग ट्रेडों में क्यूपी के निर्माण के लिए एसएससी को भी निधि प्रदान करेगा। मंत्रालय एसएससी और क्षेत्रों के बीच आवश्यक संबंधों की सुविधा के साथ-साथ परियोजना की प्रगति की निगरानी भी करेगा।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) के बारे में

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय का गठन 9 नवंबर 2014 को भारत सरकार द्वारा कौशल की रोजगार क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया गया था। अपनी स्थापना के बाद से, एमएसडीई ने नीति, ढांचे और मानकों को औपचारिक रूप देने के संदर्भ में महत्वपूर्ण पहल और सुधार किए हैं जैसे: नए कार्यक्रमों और स्कीमों का शुभारंभ; नए बुनियादी ढांचे का निर्माण और मौजूदा संस्थानों का उन्नयन; राज्यों के साथ साझेदारी; उद्योगों से जुड़ाव और कौशल के लिए सामाजिक स्वीकृति और आकांक्षाओं का निर्माण करना। मंत्रालय का उद्देश्य न केवल मौजूदा जॉबों के लिए बल्कि मृजित किए जाने वाली जॉबों के लिए भी नए कौशल और नवाचार का निर्माण करने हेतु कुशल जनशक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच की खाई को पाटना है।

भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) के बारे में

भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) अपने प्रशासनिक नियंत्रण के तहत लाभ कमाने वाले पीएसई को सुदृढ़ करने के साथ-साथ रुग्ण और घाटे में चल रहे पीएसई को पुनर्गिठत और पुनर्जीवित करने का प्रयास करता है। डीएचआई राष्ट्रीय मोटर वाहन परीक्षण और अनुसंधान और विकास अवसंरचना परियोजना (एनएटीआरआईपी) के माध्यम से अत्याधुनिक अनुसंधान और परीक्षण बुनियादी ढांचे के निर्माण के माध्यम से वैश्विक ऑटोमोटिव उत्कृष्टता के अपने विजन को प्राप्त करना चाहता है। डीएचआई ऑटो, हेवी इंजीनियरिंग, हेवी इलेक्ट्रिकल और प्रंजीगत वस्तु क्षेत्र को आवश्यक सहायता प्रदान करके अपने सपने को साकार करना चाहता है।